

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा
जिला-बेमेतरा
// ज्ञापन //

क्र० / 129 / प्र-1 / अ.वि.अ. / 2017
प्रति,

साजा, दिनांक 03.2017

1. कलेक्टर,
बेमेतरा
2. अनुविभागीय अधिकारी,
साजा
3. तहसीलदार,
बेरला
4. सचिव, ग्राम पंचायत खम्हरिया
तहसील बेरला

विषय :- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 07 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन बाबत।

विषयांतर्गत लेख है कि, सोढ़, रेवे देवरबीजा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम खम्हरिया प.ह.नं. 03 तहसील बेरला जिला बेमेतरा (छ.ग.) की निजी भूमि 0.0271 हे. को भू-अर्जन अंतर्गत अधिग्रहित करने हेतु धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु अधिसूचना की प्रति पत्र के साथ संलग्न है। अधिसूचना प्रकाशन की अंतिम तिथि 04/05/2017 को नियत हैं। अतः अधिसूचना का प्रकाशन समय-सीमा अंतर्गत कराया जाकर एक प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अनुविभागीय अधिकारी(रा.) एवं,
भू-अर्जन अधिकारी
साजा

पृ० क्र० / 130 / प्र-1 / अ.वि.अ. / 2017
प्रतिलिपि:-

साजा दिनांक 03.2017

1. श्री
सामाजिक समाघात निर्धारण दल को सूचनार्थ अधिसूचना की प्रति पत्र के साथ संलग्न है। अतः दिनांक 04/05/2017 को नियत स्थान मे उपस्थित जन सुनवाई की कार्यवाही की जाकर कार्यवाही की प्रति तत्काल कलेक्टर महोदय बेमेतरा को भेजने का कष्ट करे।
2. NIC बेमेतरा को अधिसूचना का प्रकाशन राजस्व विभाग के वेबसाइट मे अपलोड किया जावे।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.) एवं,
भू-अर्जन अधिकारी

अधिसूचना

भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

---000---

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
बेमेतरा	बेरला	खम्हरिया	271.00 वर्ग मीटर (0.0271 हेक्टे.)	जिला बेमेतरा के सोढ़ से रेवे-देवरबीजा मार्ग लं. 16.425 किमी. का निर्माण कार्य।

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 04/05/17 को (समय) 11:00 बजे (स्थान) खम्हरिया पर नियत की गई है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण।

जिला बेमेतरा के सोढ़ से रेवे-देवरबीजा मार्ग लं. 16.425 किमी. का निर्माण कार्य में भू-अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।

कृषकों की संख्या 13 प्रस्तावित

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।

निरंक

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों एवं अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या।

08 मकान

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या।

निरंक

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?

अर्जन के लिये प्रस्तावित परियोजना की सीमा उस परियोजना के लिये यथार्थ न्यूनतम सीमा तक ही है।

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?

सोढ़ से रेवे-देवरबीजा मार्ग निर्माण में आ रही प्रस्तावित भूमि आवेदकों के मांग पर लंबित भूमि का मुआवजा किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(आठ) परियोजना की कुल लागत।

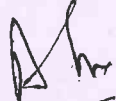
रु. 4315.25 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ।

नागरिकों को सोढ़ से रेवे-देवरबीजा मार्ग निर्माण से आवागमन/यातायात में लाभान्वित होंगे।

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय।
रु. 4315.25 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति राशि से सोढ़ से रेवे-देवरबीजा मार्ग निर्माण में मांग संख्या
24 / 5054(04)-(337)-0101-(2457) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मद में व्यय किया जावेगा।
(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक।
निरंक

उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हों,
तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।


EG. PWD

R. SL. 2175
कलेक्टर
जिला बेमेतरा (छ.ग.)